न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–85/1979
CIS NO. TS-264/2019

इन्द्रावती देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दिनेश प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.04.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.08.2022 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 17.08.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है। प्रस्तुत वाद में स्वत्व वाद सं0–60/1995 के आदेश दिनांक 13.04.2021 को दाखिल किया गया है। जो प्रस्तुत वाद के आदेश फलक में भी दर्शित है। परंतु अभी तक स्वत्व वाद सं0–60/1995 की सच्ची प्रतिलिपि का न्यायालय द्वारा प्रदर्श नही हो सका है। जो न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि स्वत्व वाद सं0–60/1995 के आदेश को न्यायहित में प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 23.09.2022 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा प्रतिवादीगणों द्वारा कहा गया कि प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो चुकी है तथा वाद अंतिम सुनवाई हेतु लंबित है। बहस के दौरान प्रतिवादी सं0–02 की मृत्यु की जानकारी होने पर उनके वारिसानों के प्रतिस्थापन के बाद उन्हें बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया जा चूका है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल स्वत्व वाद सं0–60/1995 के आदेश की सच्ची प्रतिलिपि को न तो वाद बिन्दु के निर्धारण के पूर्व और न ही साक्ष्य के दौरान दाखिल किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने आवेदन में समय पर कागज दाखिल न करने का कोई कारण दर्शित नही किया है। अतः आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। प्रतिवादीगण की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज दाखिल किया गया है।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–85/1979
CIS NO. TS-264/2019

लगातार 06.04.2023	विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित मौखिक एवं दस्तावेजी सभी साक्ष्यों को अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से निर्धारण किया जा सके तथा वादो की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आना प्रतीत होता है परंतु दस्तावेज काफी विलंभ से दाखिल किया तथा विलंभ का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है परंतु फिर भी न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 17.08.2022 को मो0–500/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 17.05.2023 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	